रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 1995/आषाढ़ 21, 1917
No. 406] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 1995/ASADHA 21, 1917

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1995

का. आ. 633(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (2ख) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 2 दिसम्बर, 1992 में प्रकाशित, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 882(अ), तारीख 2 दिसम्बर, 1992 को अधिक्रांत करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली एक सलाहकार समिति का गठन करती है जो आनुषंगिक या लघु औद्योगिक उपक्रमों द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग की प्रकृति के अवधारण के मामलों में अपनी विशेष सलाह देगी, अर्थात् :—

आरक्षण संबंधी सलाहकार समिति

1. सचिव, लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय	अध्यक्ष
2. सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय	सदस्य
3. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय	सदस्य
4. अध्यक्ष, औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो	सदस्य
5. अपर सचिव और विकास आयुक्त (लघु उद्योग)	सदस्य-सचिव

2. सलाहकारी समिति, निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें केन्द्रीय सरकार को भेजेगी, अर्थात् :—

(क) किसी ऐसी वस्तु या ऐसे वर्ग की वस्तुओं की प्रकृति, जिनका आनुषंगिक या लघु, औद्योगिक उपक्रमों द्वारा मितव्ययिता पूर्वक उत्पादन किया जा सकता है,

(ख) नियोजन का ऐसा स्तर जिसके आनुषंगिक या लघु, औद्योगिक उपक्रमों द्वारा ऐसी वस्तु या ऐसे वर्ग की वस्तुओं के उत्पादन द्वारा जनन होने की संभावना है,

(ग) उद्योग में उद्यमता को प्रोत्साहित करने और प्रसारित करने की संभाव्यता,

(घ) सर्वसाधारण के लिए अहितकारी आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण का निवारण, और

(ङ) ऐसे अन्य विषय, जिन्हें सलाहकार समिति ठीक समझे ।

[फा. सं. 10(15)/95-एल. पी.]
अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industry Policy and Promotion)

NOTIFICATION
New Delhi, the 12th July, 1995

S.O. 633(E).--In pursuance of sub-section (28) of section 29-B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and in supersession of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) notification number S.O. 882(E), dated the 2nd December, 1992, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 2nd December, 1992, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee consisting of the following persons, for giving its expert advice in the matter of determining the nature of any article or class of articles that may be reserved for production by the ancillary, or small scale, industrial undertakings, namely :--

ADVISORY COMMITTEE ON RESERVATION

1. Secretary, Department of Small Scale Industries and Agro Rural Industries, Ministry of Industry.	Chairman
2. Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Industry.	Member
3. Secretary, Department of Industrial Development, Ministry of Industry.	Member
4. Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices.	Member
5. Additional Secretary and Development Commissioner (Small Scale Industries).	Member-Secretary

2. The Advisory Committee shall, after considering the following matters, communicate its recommendations to the Central Government, namely :--

(a) the nature of any article or class of articles which may be produced economically by the ancillary, or small scale, industrial undertakings;

(b) the level of employment likely to be generated by the production of such article or class of articles by the ancillary, or small scale, industrial undetakings;

(c) the possibility of encouraging and diffusing entrepreneurship in industry;

(d) the prevention of concentration of economic power to the common detriment; and

(e) such other matters as the Advisory Committee may think fit.

[F. No. 10(15)/95-LP]
ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995